रजिस्ट्री सं० बी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1970/ज्येष्ठ 4, 1892
No. 193] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1970/JYAISTHA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th May 1970

S.O. 1884.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 25-Sultanpur Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that—

Sri Kedar Nath Singh Advocate, Civil Lines, Sultanpur has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri Shripati Misra, having become vacant.

Place: Sultanpur.

Dated 18th May, 1970.

(Sd.) R. K. GUPTA,
Returning Officer."

[No. F. 13(3)/70-Leg.II.]

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 मई, 1970

का० आ० 1884.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें निर्दिष्ट चनाव क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणा

उत्तर प्रदेश में 25—सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री श्रीपति मिश्र के त्याग-पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए **श्री केदार नाथ सिंह अधिवक्ता, सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर** सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

(ह०) आर० के० गुप्ता, रिटर्निंग आफिसर ।

स्थान : सुल्तानपुर
तारीख : 18-5-70

[संख्या का० 13(3)/70-विधायी II.]

S.O. 1884-A.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 38-Gorakhpur Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh.

"In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1951, I declare that—

Shri Avedh Nath, Gorakh Nath Mandir Gorakhpur has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Mahanth Digvijai Nath.

Place: Gorakhpur.
Dated May 18, 1970.

(Sd.) R. P. SINGH,
Returning Officer."

[No. F. 13(3)/70-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, *Jt. Secy.*

का० आ० 1884A.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें निर्दिष्ट चुनाव क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

उत्तर प्रदेश में 38—गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—महन्त दिग्विजय नाथ की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए

श्री अवेद्य नाथ, गोरक्षनाथ मन्दिर, गोरखपुर सम्यक् से निर्वाचित हो गए हैं ।

(ह०) आर० पी० सिंह,
रिटर्निंग आफिसर"

स्थान: गोरखपुर

तारीख: मई 18, 1970

[संख्या फा० 13(3)/70-विधायी-II]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1970